

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
की धारा 12(1) (सी) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए आवेदन

परिशिष्ट-1

प्रति,
प्रधानाध्यापक/प्राचार्य

..... (स्कूल का नाम)
जिला म. प्र.।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूल में वंचित
समूह एवं कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों का प्रवेश।

मैं अपने बालक/बालिका (नाम)
जन्म तिथि (दिनांक माह /सन) पुत्र/पुत्री
..... (मात व पिता का नाम) को

आपके स्कूल में कक्षा 1 में या नर्सरी में प्रवेश दिलाना चाहता/चाहती हूँ।

(1) मैं स्कूल के पड़ोस स्थित गाँव/बसाहट/शहर के वार्ड का / की निवासी हूँ। उसके प्रमाण के रूप में निम्न
दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न है यह दस्तावेज की प्रति स्वप्रमाणित है।

(जिस दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की गई है, उसमें करें।

- (1) मतदान परिचय पत्र
- (2) राशनकार्ड
- (3) भू अधिकार पत्रिका
- (4) ग्रामीण क्षेत्र में जांब कार्ड (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम)
- (5) पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेंस / विद्युत बिल / पानी का बिल
- (6) अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक / अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

(2) मैं निम्नलिखित वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग से हूँ - जिस श्रेणी के हो, उसे चिन्हित करें।)

वंचित समूह -

- (1) अनुसूचित जाति
- (2) अनुसूचित जन जाति
- (3) विमुक्त जाति
- (4) वन ग्राम पट्टाधारी परिवार
- (5) 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे)

कमजोर वर्ग

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।

इसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत है। जिस दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की गई है, उसे करें।

- (1) जाति प्रमाण पत्र का दस्तावेज
- (2) जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- (3) बी. पी. एल. प्रमाण पत्र
- (4) वन ग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिकार पत्र
कृपया अधिनियम के प्रावधान के तहत बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने का कष्ट करें।

पालक/अभिभावक/अभिभाविका का नाम व पता

भवदीय

हस्ताक्षर

(पालक/अभिभावक/अभिभाविका)